न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या – 38/2023 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0–2023/286

1. मनीष शर्मा पुत्र श्यामलाल शर्मा जाति ब्राहमण
2. अतुल शर्मा पुत्र श्री श्यामलाल शर्मा जाति ब्रह्मण
3. हरिओम अहीर पुत्र श्री दोलतराम अहीर जाति अहीर
4. अंकित नन्दवाना पुत्र जगदीश नन्दवाना जाति ब्राह्मण
5. श्रीमती स्नेहलता शर्मा पत्नी श्री ओमनारायण शर्मा जाति ब्रह्मण
6. योगेश कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन जाति महाजन
7. मोनिका नन्दवाना पत्नी गोविन्द नन्दवाना जाति ब्राह्मण
8. गोविन्द नन्दवाना पुत्र ओमनारायण नन्दवाना जाति ब्रह्मण
9. अक्षय नन्दवाना पुत्र अशोक नन्दवाना जाति ब्राह्मण
   निवासीगण ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

भू–अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी 5 नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 एवं धारा 73 (2) भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

उपस्थितः–

1. श्री दिलदार सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक :– 03.06.2025

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के आवास/व्यवसाय निमार्णय हेतु ग्राम चेचट के खसरा नम्बर 1913 एवं खसरा नं0 2611/1913, खसरा नं. 2612/1913 ख0नं0 2613/1913 के स्वामियों से उनके स्वामित्व की उक्त आराजी जो कि आवाद के मध्य आ जाने से तथा कृषि उपयोग की नही होने से उक्त आराजी के अलग अलग भूखण्डों में विभाजित किये जिसमें से प्रार्थीगण द्वारा भूखण्ड कय किये गये थे । इन खसरा नम्बरान की आवासीय योजना की भूमि दिल्ली वडौदरा एक्सप्रेस वे निमार्ण हेतु अवाप्त की जा चुकी है प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी (भू–अवाप्ति) अधिकारी द्वारा दिनांक 25.01.2021 को प्रार्थीगण को नोटिस जारी कर अवाप्ति के सम्बन्ध में साक्ष्य पेश करने हेतु तथा अपना पक्ष मय रिकार्ड रखने हेतु दिनांक 28.01.2021 को तलब किया गया जिस पर प्रार्थीगण द्वारा भू–अवाप्ति अधिकारी रामगंजमण्डी के समक्ष अवाप्त की गई भूमि में कय किये गये भूखण्डों के संबंध में दस्तावेज जिसमें पंजीयन विकय पत्र मय नक्शा तथा अवाप्त भूमि के संबंध में शपथ पत्र एवं अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है । लेकिन इसके बावजूद भी आज तक प्रार्थीगण को उनके अवाप्तशुदा भूमि में स्थित भूखण्डों का मुआवजा प्राप्त नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.08.2023 को प्रस्तुत किया गया है ।

जिला कलक्टर
कोटा

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई । उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी ने अपने पत्रांक/247 दिनांक 23.5.2025 से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी सं0 1 मनीष कुमार एवं मनीष कुमार की माता मोहनी बाई द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड संख्या 52, 63, 64, 65 व 78 एन.एच.ए.आई.द्वारा निमार्ण किये गये एक्सप्रेसवे की सीमा से बाहर होना जाहिर आया । वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

3. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के आवास/व्यवसाय निमार्णय हेतु ग्राम चेचट के खसरा नम्बर 1913 एवं खसरा नं0 2611/1913, खसरा नं. 2612/1913 2613/1913 के स्वामियों से उनके स्वामित्व की उक्त आराजी जो कि आबादी के मध्य आ जाने से तथा कृषि उपयोग की नही होने से उक्त आराजी के अलग अलग भूखण्डों में विभाजित किये जिसमें से प्रार्थीगण द्वारा भूखण्ड क्रय किये गये थे । उक्त भूखण्डों में आने वाली भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अन्तर्गत निर्मित बनाने वाली दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेसवे निमार्ण में अवाप्त किया जा चुका है जिसके संबंध में भारत के राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 9.9.2020 दिनांक 30.9.2020 को जारी की गई उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया तो प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा जिस आवासीय योजना में भूमि क्रय की गई है उस आवासीय योजना के खसरा नं0 1913 ख0नं0 2611/1913, ख0नं0 2612/1913, खसरा नम्बर 2613/1913 की भूमि दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेस वे निमार्ण हेतु अवाप्त की जा चुकी है । प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भू–अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 25.01.2021 को प्रार्थीगण को नोटिस जारी कर अवाप्ति के सम्बन्ध में साक्ष्य पेश करने हेतु तथा अपना पक्ष मय रिकार्ड रखने हेतु दिनांक 28.01.2021 को तलब किया गया जिस पर प्रार्थीगण द्वारा भू–अवाप्ति अधिकारी रामगंजमण्डी के समक्ष अवाप्त की गई भूमि में क्रय किये गये भूखण्डों के संबंध में दस्तावेज जिसमें पंजीयन विक्रय पत्र मय नक्शा तथा अवाप्त भूमि के संबंध में श्पथ पत्र एवं अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है । लेकिन इसके बावजूद भी आज तक प्रार्थीगण को उनके अवाप्तशुदा भूमि में स्थित भूखण्डों का मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है । न्यायालय हाजा द्वारा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी से तलब की गई रिपोर्ट दिनांक 23.05.2025 से केवल प्रार्थी नं01 के एवं उनकी माता मोहनीबाई के द्वारा क्रम किये गये भूखण्ड संख्या 52, 63, 64, 65 व 78 एनएचएआई के निमार्ण में अवाप्ति सीमा से बाहर होना बताया है किन्तु शेष अप्रार्थीगण के भी भूखण्ड उक्त खसरा नम्बरान में है तथा उनके बारे में कोई टिप्पणी एवं जांच रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी से प्राप्त नहीं हुई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी को शेष अप्रार्थीगण के भूखण्डों की जांच कराते हुए मुआवजा भुगतान हेतु रिमाण्ड फरमाया जावें ।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मनीष कुमार एवं माता मोहनी बाई द्वारा क्रय किये भूखण्ड संख्या 52,63,64,65 व 78 एनपएचएआई द्वारा निमर्ण किये गये एक्सप्रेस वे की अवाप्ति सीमा से बाहर है । शेष के बारे में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होने से प्रकरण जांच हेतु सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को रिमाण्ड किया जा सकता है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी की रिपोर्ट दिनांक 18.01.2024 अनुसार ग्राम चेचट के आराजी खसरा नम्बर 1913 ख0नं0 2611/1913, ख0नं0 2612/1913, खसरा नम्बर 2613/1913 की भूमि एक्सप्रेस वे के निमार्ण हेतु अवाप्ति की गई किन्तु उक्त खसरा नम्बरान की भूमि विभिन्न भूखण्डों में विभक्त होकर आबादी की

जिला कलक्टर
कोटा

भूमि होने से मूल खसरा नम्बर 1913 के वर्तमान खसरा नम्बर 1913 ख0नं0 2611/1913, ख0नं0 2612/1913, खसरा नम्बर 2613/1913 में खातेदारान एवं भूखण्ड धारियों के मध्य मौके पर काबिज एवं ब्ल्यूप्रिंट का राजस्व नक्शे में अन्तर होने एवं मिलान नहीं होने से सुपर इम्पोज नहीं होना बताया है । साथ ही रिपोर्ट दिनांक 23.5.2025 अनुसार प्रार्थी मनीष कुमार एवं माता मोहनी बाई द्वारा क्रय किये भूखण्ड संख्या 52,63,64,65 व 78 एनपएचएआई द्वारा निमर्ण किये गये एक्सप्रेस वे की अवाप्ति सीमा से बाहर होना बताया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी नं0 1 के उक्त भूखण्ड अवाप्ति सीमा से बाहर होने से मुआवजा भुगतान किया जाना संभव नहीं है । किन्तु उक्त खसरा नम्बरान के शेष भूखण्डों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जाने से प्रकरण जांच कर कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है ।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बरान 913 ख0नं0 2611/1913, ख0नं0 2612/1913, खसरा नम्बर 2613/1913 की भूमि में प्रार्थीगण के भूखण्डों के अवाप्ति के सम्बन्ध में जांच कराते हुए मुआवजे के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
7. निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा